राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

आइसीसी हाल ऑफ फेम में शामिल हुए सचिन

>> 12

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 40

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 20 जुलाई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

20 साल कारगिल विजय के

मां से पिता की शहादत के किस्से सुन बेटा भी बना फौजी

जम्मू : आगामी 26 जुलाई को हम कारगिल विजय की 20वीं सालगिरह मनाएंगे। जांबाजों को नमन करेंगे, जिनके शौर्य, पराक्रम और बलिदान के बूते हमारा सिर ऊंचा है। 60 दिन चले 'ऑपरेशन विजय' में हमारे 527 जवान शहीद हुए थे और 1363 घायल। देशभक्ति जिनके खून में हिलोरें मारती है, आइये मिलते हैं कारगिल शहीदों के उन बेटों से जिन्होंने पिता को श्रद्धांजली स्वरूप जवानी देश के नाम लिख दी है। (पेज-13)

जागरण विशेष

बोल बम : बाबा नगरी की डगर में रोजगार के मेले

भागलपुर : साल के अधिकांश महीनों में सुनसान रहने वाला कांवड़िया पथ श्रावणी मेले के दौरान गुलजार हो जाता है। खास बात यह है कि इस दौरान 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। यहां गंगाजल के डिब्बों पर लगाने के लिए मिट्टी तक बिक जाती है। (पेज-13)

विश्वास. News

मुफ्त सोलर पैनल बांटे जाने वाली पोस्ट फर्जी ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 13

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन पर सभी दल राजी

नई दिल्ली : खेती और खेतिहरों की हालत में सुधार के मद्देनजर राज्यसभा में सभी दलों ने एक सुर से राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन के प्रस्ताव का समर्थन किया। आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और देश की खाद्य सुरक्षा को संभालने वाले अन्नदाता को भारत रत्न जैसे सम्मान से नवाजे जाने की मांग की गई। भाजपा के सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने राज्यसभा में पेश प्रस्ताव में ये मांगें की।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

सेंसेक्स में इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट

मुंबई : विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को टैक्स पर राहत नहीं मिलने से शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही। बीएसई का सेंसेक्स 560.45 अंकों की गिरावट के साथ 38,337.01 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11,419.25 पर बंद हुआ। इस वर्ष सेंसेक्स में यह दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे अमेरिकी हथियार

वाशिंगटन : प्रधानमंत्री इमरान खान की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले आई अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान को मिलने वाली हथियारों की सहायता फिलहाल निलंबित रहेगी। आतंकियों को संरक्षण देने की पाकिस्तान की नीति के चलते ट्रंप प्रशासन ने उसे हथियार देने बंद किए थे। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा।

घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं

खरी बात ▶ सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा, अवैध प्रवासियों के लिए कोई जगह नहीं

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अंतिम रूप देने के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा, मसौदा एनआरसी में बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों के नाम होने की आशंका
- कोर्ट ने एनआरसी संयोजक को 10 और 18 जुलाई की रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा

केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में अवैध प्रवासियों के लिए कोई स्थान नहीं है। भारत को दुनिया की अवैध शरणार्थियों की राजधानी नहीं बनने दिया जा सकता। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मसौदे में बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों के नाम शामिल होने की आशंका जताते हुए केंद्र और असम सरकार ने उसके पुनः सत्यापन की जरूरत बताई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से फाइनल एनआरसी के प्रकाशन के लिए 31 जुलाई की तय समयसीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ के समक्ष शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बांग्लादेश की सीमा से सटे जिलों में स्थानीय अधिकारियों की साठगांठ से एनआरसी में लाखों लोगों के नाम गलत तरीके से दर्ज किए गए हैं तो सही लोगों के नाम हटाए गए हैं। इसलिए असम में बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में एनआरसी के 20 फीसद और बाकी जिलों में 10 फीसद नमूनों के पुनः सत्यापन की इजाजत दी जाए।

केंद्र सरकार ने इन नमूनों के फिर से सत्यापन के लिए ऐसा स्थान निर्धारित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है जो एनआरसी के लिए सत्यापन के शुरुआती इलाकों में नहीं हो ताकि स्थानीय प्रभाव, पक्षपात और धमकी आदि की संभावनाओं को नकारा जा सके। असम सरकार ने राज्य में बाढ़ का हवाला देकर एनआरसी प्रकाशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ाने की मांग की।

कोर्ट ने पुनःसत्यापन की मांग पर उठाए सवाल : पीठ ने असम एनआरसी संयोजक प्रतीक हजेला की रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि संयोजक की रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख नामों की दोबारा जांच कराई गई है तो फिर नमूनों के पुनःसत्यापन की क्या जरूरत है। कोर्ट ने हजेला से अपनी 10 और 18 जुलाई की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने को भी कहा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट देख कर जवाब देने का समय देते हुए मामले को मंगलवार को फिर सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया।

अंतरिम सूची के प्रकाशन पर हुआ था बवाल : पिछले साल 30 जुलाई को जब एनआरसी की अंतरिम सूची का प्रकाशन हुआ तो उसे लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया था। उसमें राजनीतिक दलों और प्रभावित लोगों ने 40.7 लाख लोगों के नाम दर्ज न करने पर सवाल उठाए। रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए आए कुल 3.29 करोड़ आवेदनों में से 2.9 करोड़ को नागरिक माना गया, बाकी का नाम भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था।

क्या है मामला

1947 में बंटवारे के बाद असम के लोगों का पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में आना-जाना जारी रहा। 1979 में असम में बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने आंदोलन किया। इसके बाद 1985 में तब की केंद्र में राजीव गांधी सरकार ने असम गण परिषद से समझौता किया। इसके तहत 25 मार्च, 1971 से पहले असम में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिक माना गया। असम में पहला एनआरसी 1951 में बना था। बाद में बांग्लादेश से आए घुसपैठियों पर बवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी अपडेट करने को कहा था। तब से इसमें कई अपडेट हो चुके हैं, लेकिन यह मसला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है।

सूचना आयुक्तों का वेतन और सेवा शर्तें तय करेगी सरकार

- सरकार ने लोकसभा में पेश किया आरटीआइ में संशोधन का विधेयक
- कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने किया तीखा विरोध

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश किया। इसके तहत सरकार को सूचना आयुक्तों का वेतन, कार्यकाल और सेवाशर्तें तय करने का अधिकार दिया गया है। विपक्षी सदस्यों ने इस संशोधन का तीखा विरोध किया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संशोधन विधेयक पेश किया और यह दावा किया कि इससे आरटीआइ एक्ट को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। जितेंद्र सिंह ने मौजूदा कानून को अधकचरा बताया और कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार इसे हड़बड़ी में लाई थी। उन्होंने कहा कि संप्रग के काल में आरटीआइ कानून दस बजे से शाम पांच बजे तक (ऑफिस टाइम) वाला कानून था, जबकि अब आरटीआइ आवेदन कहीं से भी कभी भी किया जा सकता है।

इस कानून में संशोधन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यह बिल केंद्रीय सूचना आयुक्त की स्वतंत्रता पर खतरा है। उनके सहयोगी शशि थरूर ने इसे आरटीआइ इलिमिनेशन बिल करार दिया। थरूर के मुताबिक संशोधन बिल के जरिये आरटीआइ कानून की संस्थागत आजादी से संबंधित दो बड़े हथियार समाप्त किए जा रहे हैं। राज्य सूचना आयुक्तों को निष्प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि सरकार का इरादा उनके वेतन तय करने का अधिकार अपने हाथों में लेने का है। विपक्षी सदस्यों ने मांग की है कि इस विधेयक को स्थायी समिति के हवाले किया जाए। एआइएमआइएम के सदस्य असादुद्दीन ओवैसी ने बिल पेश करने को लेकर मत विभाजन की मांग की। 224 सदस्यों ने बिल का समर्थन किया, जबकि केवल नौ ने उसका विरोध किया। वोटिंग के समय कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य बहिर्गमन कर गए।

मौजूदा आरटीआइ एक्ट में कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होंगी। यही बात सूचना आयुक्त और चुनाव आयुक्त के मामले में भी लागू होगी। संशोधित बिल में कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों और सूचना आयुक्तों द्वारा किए जाने वाले कार्य पूरी तरह अलग होते हैं। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, जबकि केंद्रीय सूचना आयोग वैधानिक संस्था है। कानून में संशोधन से सरकार को केंद्रीय सूचना आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों के लिए सेवा शर्तें तय करने का अधिकार मिल जाएगा।

बिहार में चोर-लुटेरा बताकर उन्मादी भीड़ ने चार को मार डाला

- छपरा जिले में मवेशी चोर बता ग्रामीणों ने तीन लोगों को पीट-पीटकर मारा
- वैशाली में लूट के आरोप में भीड़ ने दो बदमाशों को पीटा, एक की मौत
- मृतकों के परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, तो पुलिसकर्मियों ने बरसाई लाठियां

छपरा जिले में उन्मादी भीड़ की हिंसा के बाद शुक्रवार को पुलिस अफसर से मदद की गुहार लगाते पीड़ितों के परिजन। प्रेट्र

जागरण टीम, वैशाली

बिहार के छपरा और वैशाली में उन्मादी भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लेकर चार लोगों की जान ले ली। छपरा के पिठौरी गांव में गुरुवार देर रात मवेशियों की चोरी कर रहे आरोपितों को इतना पीटा गया कि दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। मृतकों के परिजनों ने जब अस्पताल में हंगामा किया तो पुलिस ने लाठी बरसाईं। वहीं, वैशाली जिले में शुक्रवार सुबह सेंट्रल बैंक के सीएसपी (ग्राहक सेवा केंद्र) को लूटने आए तीन बदमाशों में से दो की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक ही अस्पताल में मौत हो गई। वहीं, तीसरा अपराधी भाग निकला।

छपरा के बनियापुर थाने के पिठौरी गांव में हाल के दिनों में मवेशी चोरी की कई घटनाएं हुई थीं। इससे ग्रामीण आक्रोशित थे। गुरुवार रात राजबली राम की तीन बकरियां चोरी हो गईं। रात में ही पता चलने पर हंगामा करने के बाद लोग सो गए। करीब ढाई बजे बुध राम की भैंस की चोरी का प्रयास किया गया। उसे पिकअप पर लाद लिया गया था, भैंस के चिल्लाने पर लोग जाग गए। लोगों को जुटता देख मवेशी चोर भागने लगे। इस दौरान तीन लोग पकड़ में आ गए। ग्रामीणों की पिटाई से पैगंबरपुर गांव निवासी राजू नट (30) और वीरेश नट (35) ने मौके पर दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस चिंताजनक हालत में नौशाद रसीद (40) को सदर अस्पताल ले जाने लगी, लेकिन उसकी भी रास्ते में ही मौत हो गई। एसपी हरकिशोर राय ने बताया कि कानून हाथ में लेने के मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

बैंक लुटेरा बताकर दो को पीटा : वैशाली में सेंट्रल बैंक के सीएसपी को लूटने आए तीन अपराधियों में दो को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। इससे एक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। घायल की पहचान महुआ थाना क्षेत्र के सिंहपुर चौक के नवीन महतो के पुत्र सुमित कुमार के रूप में हुई है। सीएसपी संचालक संजीव सिंह ने बताया कि करीब साढ़े दस बजे केंद्र खोलने पहुंचे। उसी दौरान बाइक सवार तीन अपराधी पहुंचे। हेलमेट पहने एक व्यक्ति पैसा निकासी के संबंध में पूछताछ करने लगा। जब हेलमेट उतारने को कहा तो आनाकानी करने लगा और भागने का प्रयास करने लगा। शक होने पर उससे गाड़ी की चाबी छीन ली। इस पर अपराधी हवा में फायर कर भागने लगा। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने दो अपराधियों को पकड़ लिया और जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कब्जे में ले लिया, लेकिन लोगों ने अपराधियों को पुनः उन्हें सौंपने के लिए जमकर हंगामा किया। किसी तरह पुलिस ने दोनों को बचाकर सदर अस्पताल हाजीपुर पहुंचाया। इलाज के क्रम में एक अपराधी की मौत हो गई। जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है।

कर्नाटक में शक्ति परीक्षण सोमवार तक टला

- राज्यपाल के दो बार समयसीमा देने के बावजूद विश्वास मत पर नहीं हुआ मतदान
- भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच जमकर हुई बहस

बेंगलुरु, एजेंसियां : कर्नाटक में विश्वास प्रस्ताव पर जारी सियासी जंग और लंबी खिंच गई है। राज्यपाल वजुभाई वाला की ओर से दो बार तय की गई समयसीमा दरकिनार करते हुए विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार ने शुक्रवार देर शाम सदन की कार्यवाही 22 जुलाई (सोमवार) तक के लिए स्थगित कर दी। अब विश्वास प्रस्ताव पर मतदान सोमवार को होगा। इससे पहले दोपहर में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दोबारा पत्र लिखकर शाम छह बजे तक बहुमत साबित करने को कहा था।

चर्चा के दूसरे दिन सदन में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान शुक्रवार को ही कराने को लेकर भाजपा-कांग्रेस विधायकों में जमकर बहस हुई। भाजपा विधायकों ने मामले को लंबा खींचने पर सवाल उठाते हुए कहा,इससे विश्वास प्रस्ताव की शुचिता प्रभावित होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीएस येद्युरप्पा ने स्पीकर से यहां तक कहा, 'राज्यपाल के आखिरी पत्र में कहा गया है कि विश्वास मत शुक्रवार को साबित होना चाहिए। हमारे विधायक देर रात तक शांति से बैठे हैं। इसमें जितना वक्त लगे, हमें देना चाहिए। इससे हम राज्यपाल के आदेश का मान भी रख पाएंगे।' वहीं, कांग्रेस-जदएस विधायकों ने सदन की कार्यवाही सोमवार या मंगलवार तक स्थगित करने की मांग की थी। हालांकि, तब स्पीकर ने कहा था कि उन्हें दुनिया का सामना करना है। विश्वास प्रस्ताव पर काफी विमर्श हो चुका है। वह यह प्रक्रिया शुक्रवार को ही खत्म करना चाहते हैं। बता दें कि राज्यपाल ने स्पीकर रमेश कुमार को खत लिखकर कहा था कि वह गुरुवार को ही विश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन कराएं, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। विरोध में भाजपा सदस्यों ने रातभर सदन में धरना दिया। गुरुवार रात विधानसभा में ही खाना खाया और वहीं सोए। बाद में राज्यपाल ने सीएम को पत्र लिखकर उन्हें शुक्रवार दोपहर 1.30 बजे तक बहुमत साबित करने को कहा था।

शुक्रवार को चर्चा के दौरान कुमारस्वामी ने कहा, 'मेरे मन में राज्यपाल के लिए सम्मान है, लेकिन उनके दूसरे प्रेमपत्र ने मुझे आहत किया है।' येद्युरप्पा के निजी सचिव पीए संतोष के साथ निर्दलीय विधायक एच. नागेश की फोटो दिखाते हुए बोले, 'क्या वाकई उन्हें विधायकों की खरीद-फरोख्त के बारे में अब पता चला है? मैं फ्लोर टेस्ट का फैसला स्पीकर पर छोड़ता हूं। मैं दिल्ली द्वारा निर्देशित नहीं हो सकता। मैं स्पीकर से अपील करता हूं कि राज्यपाल के पत्र से मेरी रक्षा करें।' 1999 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पेश विश्वास प्रस्ताव का उदाहरण देते हुए कहा, उन्हें 10 दिन मिले थे जबकि उनके (कुमारस्वामी) मामले में भाजपा विधायक इतनी जल्दबाजी दिखा रहे हैं। सीएम ने कहा, 'पहले राज्य के सियासी संकट पर चर्चा होगी। बाद में फ्लोर टेस्ट होगा। राज्य में जब से कांग्रेस-जदएस सरकार बनी है, इसे गिराने का माहौल बनाया जा रहा है। मुझे पहले दिन से पता था कि सत्ता ज्यादा नहीं चलेगी, देखता हूं भाजपा कितने दिन सरकार चला पाएगी? मुद्दे पर बहस होने दीजिए। कोई जल्दी नहीं है। आप सोमवार या मंगलवार को भी सरकार बना सकते हैं। मैं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा।'

क्या काले जादू से सरकार बचाना संभव है ? पेज>>5
सुप्रीम कोर्ट में भी जारी कर्नाटक की जंग पेज>>5

कर्नाटक की जदएस-कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को भी विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना नहीं किया। विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इस बीच अपने सहयोगियों से विमर्श करते मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी। प्रेट्र

प्रियंका को सोनभद्र जाने से रोका, किया गिरफ्तार

मीरजापुर : सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों से मिलने जा रहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मिर्जापुर सीमा पर रोके जाने पर प्रियंका कांग्रेसियों के साथ वहीं सड़क पर धरना देने लगीं। उन्हें हिरासत में लेकर चुनार किला स्थित गेस्ट हाउस ले जाया गया। प्रियंका ने गेस्ट हाउस में ही डेरा डाल दिया है। (पेज-5)

चयन समिति की बैठक से पहले आज 'विशेष बैठक'

नई दिल्ली : वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन रविवार को मुंबई में होना है लेकिन उससे पहले शनिवार को भारतीय चयनकर्ताओं और कप्तान विराट कोहली के बीच में विशेष बैठक होगी जिसमें महेंद्र सिंह धौनी के भविष्य और शिखर धवन की फिटनेस पर भी चर्चा होगी। भारत को वेस्टइंडीज दौरे पर तीन टी-20, तीन वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने हैं। (पेज-12)

नौकरियों में महिलाओं को 20 फीसद आरक्षण

- हाई कोर्ट ने कहा, महिला विशेष वर्ग और अलग सामाजिक श्रेणी है
- सामान्य वर्ग की 20 फीसद महिला मेरिट में है तो कोटे की जरूरत नहीं
- कोटा पूरा करने को दूसरे में नहीं जा सकेगी एक वर्ग की चयनित महिला

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूर्णपीठ ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 20 फीसद क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। कोर्ट ने कहा है कि सामान्य और आरक्षित वर्ग की सीटों पर यदि मेरिट में महिला सफल घोषित होती है तो उसे अपने श्रेणी के 20 फीसद कोटे में गिना जाएगा। जिस श्रेणी में कोटा पूरा नहीं होगा उसमें संबंधित कोटे की सफल महिला को ही स्थान मिलेगा। इसके लिए नीचे से चयनित पुरुष बाहर हो जाएगा। महिला अपनी श्रेणी में ही रहेगी। एक वर्ग की चयनित महिला कोटा पूरा करने के लिए दूसरे वर्ग में नहीं जा सकेगी। वह सामान्य या आरक्षित वर्ग में अपनी श्रेणी में ही जा सकेगी।

यह फैसला न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, अश्वनी कुमार मिश्र तथा डॉ. वाईके श्रीवास्तव की पूर्णपीठ ने अजय कुमार की याचिका पर दो पीठों के निर्णयों में मतभिन्नता से उठे विधिक सवालों पर विचार करते हुए दिया। कोर्ट ने महिलाओं को अपनी श्रेणी में आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने में आ रही दिक्कतों को दूर कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि घोषित रिक्तियों का 20 फीसद महिला आरक्षण होगा। यह सामान्य व आरक्षित वर्ग में समान रूप से लागू होगा। महिला मेरिट में चयनित होने के बावजूद अपनी श्रेणी के कोटे में गिनी जाएगी। कोर्ट ने विधि प्रश्न तय करते हुए याचिका नियमित पीठ के समक्ष भेज दिया है। आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भेजने का आदेश दिया गया है ताकि आदेश का पालन हो सके।

इलाहाबाद हाई कोर्ट फाइल फोटो

दो स्तरों पर होगी व्यवस्था

कोर्ट ने कहा कि महिला एक विशेष वर्ग और अलग सामाजिक श्रेणी है। यह व्यवस्था दो स्तर पर होगी। पहला, मेरिट लिस्ट में चयनित महिला को अपने वर्ग में शामिल किया जाएगा। जिस वर्ग में कोटे की सीट नहीं भरी होगी उस श्रेणी की महिला का चयन किया जाएगा। वह अंतिम चयनित पुरुष का स्थान लेगी। यदि सामान्य वर्ग की 20 फीसद महिला मेरिट में चयनित है तो उसमें कोटा लागू करने की जरूरत नहीं होगी। एससी, एसटी या ओबीसी जिस कोटे की महिला सीट खाली होगी, उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा।

बड़ी मांग

जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से सहयोग मांगा, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया तो बदल जाएगी कई राज्यों में तस्वीर, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हिंदू हैं अल्पसंख्यक

राज्यवार आबादी के आधार पर तय हो अल्पसंख्यकों का दर्जा

- उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में असली अल्पसंख्यक उपेक्षित
- राष्ट्रीय आंकड़ों पर माने गए अल्पसंख्यक कई जगह हैं बहुसंख्यक

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक जनहित याचिका में राष्ट्रीय आंकड़े की जगह राज्यवार जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों का निर्धारण करने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई में अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से सहयोग मांगा है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय करते हुए शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अपनी याचिका की प्रति अटार्नी जनरल के कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर की है।

याचिका में केंद्र की 26 साल पुरानी अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई है। इस अधिसूचना में पांच समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। इसके साथ ही याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 (सी) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। इसी अधिनियम के तहत 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी की गई थी।

उपाध्याय ने अल्पसंख्यक को परिभाषित करने वाला दिशा-निर्देश तय करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राज्यवार जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक परिभाषित किए जाएं न कि राष्ट्रीय आंकड़े के आधार पर। उन्होंने उल्लेख किया है कि अधिसूचना स्वास्थ्य, शिक्षा, शरण और जीवनयापन के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है।

वकील ने कहा है कि वह यह जनहित याचिका इसलिए दायर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें गृह मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से आवेदन पर कोई जवाब नहीं मिला है। 11 फरवरी को शीर्ष कोर्ट ने उपाध्याय को अल्पसंख्यक आयोग से संपर्क करने को कहा था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आयोग तीन महीने के भीतर उनके आवेदन पर फैसला लेगा। उन्होंने राष्ट्रीय आंकड़े की जगह राज्यवार आंकड़े के आधार पर अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने की मांग की थी।

देश में 2011 में हुई थी जनगणना। प्रतीकात्मक फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने चांद सितारे वाले हरे झंडे पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में धार्मिक स्थलों और भवनों पर चांद सितारे वाला हरा झंडा फहराने पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। (पेज-3)

कई राज्यों में हिंदू हैं अल्पसंख्यक : भाजपा नेता उपाध्याय ने अर्जी में कहा है कि राष्ट्रीय आंकड़े के अनुसार, बहुसंख्यक हिंदू उत्तरपूर्व के कई राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर में अल्पसंख्यक हैं। इन राज्यों में अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ से हिंदू वंचित हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को इस परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यकों की परिभाषा पर विचार करना चाहिए।

अल्पसंख्यक की परिभाषा का राज्य कर रहे दुरुपयोग: अनुच्छेद 29-30 के अनुसार अल्पसंख्यक की परिभाषा में जो चूक रह गई है वह राज्यों के हाथों में है। याचिका के मुताबिक, जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम हुई है वहां इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार, सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। लक्षद्वीप की आबादी में हिंदू 2.5 फीसद, मिजोरम में 2.75, नगालैंड में 8.75, मेघालय में 11.53, जम्मू एवं कश्मीर में 28.44, अरुणाचल में 29 मणिपुर में 31.39 और पंजाब में 38.40 फीसद हिंदू हैं।

इन राज्यों में ईसाई हैं बहुसंख्यक पेज>>3

इस्लामिक बैंकिंग से ठगने वाला मंसूर खान गिरफ्तार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मंसूर खान एएनआइ

दुबई से लौटते ही हवाई अड्डे पर ईडी ने किया गिरफ्तार, खासकर मुस्लिमों को लगाया है चूना

बेंगलुरु में इस्लामिक बैंकिंग के सहारे निवेशकों के हजारों करोड़ रुपये लेकर करीब डेढ़ माह पहले फरार होने वाले मंसूर खान को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है। आइएमए ज्वैलर्स के संस्थापक मंसूर को दुबई से दिल्ली लौटते ही इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दबोच लिया गया। ईडी के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। मंसूर के खिलाफ ईडी मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून और बेंगलुरु पुलिस की एसआइटी विभिन्न आपराधिक मामलों के तहत मंसूर के खिलाफ जांच कर रही है।

बेंगलुरु एसआइटी के अनुसार, मंसूर दुबई से नई दिल्ली की फ्लाइट एआइ 916 से देर रात 3.30 बजे लौटा है। खान को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु ले जाया जाएगा। मंसूर ने एक लाख से अधिक लोगों से आइएमए ज्वैलर्स की 17 कंपनियों में 4,084 करोड़ रुपये का निवेश करवाया। खान ने इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर फर्जी कंपनियों में ज्यादातर मुस्लिमों का धन ही निवेश करवाया था। उसने 1400 करोड़ रुपये लौटाए भी थे। मंसूर के भारत आने के बारे में बेंगलुरु पुलिस की एसआइटी का दावा है कि उसे भारत आने को तैयार करने में उसकी अहम भूमिका थी। कुछ दिन पहले मंसूर ने भी वीडियो संदेश जारी कर लौटने की इच्छा जताई थी। वहीं, ईडी की मानें तो मंसूर के खिलाफ जारी वारंट और प्रत्यर्पण के लिए बढ़ते दबाव के बाद उसे भारत आने पर मजबूर होना पड़ा है।

1400 करोड़ रुपये लौटाए भी थे पेज>>6